तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज देवीसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 83 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवीसिंह पुत्र हरिसिंह पता गांव देवराजगढ सोलकिंयातला तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.05.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम बंधेरी शेखासर ग्राम पंचायत शेखासर की कृषि आदान अनुदान सूचिया वर्ष 2013 से 2018 तक की प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से जरिये पत्रांक 2001 दिनांक 03.07.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि श्री प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् सूचना शुल्क 250 / – रूपये जमा कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 2001 दिनांक 09.07.18 लिखा गया, परन्तु आदिनांक तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया तथा शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने निर्धारित सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner